

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह

मिसल नम्बर :- 06/2021

सरकार

बनाम

फकीरचन्द पुत्र श्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला
झुंझुनू राज0।

.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 10-02-2021

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम दूधवा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर गैर सायल फकीरचन्द पुत्र श्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0 ने कूड़ा कचरा डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल से सम्यक रूप से बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद गैर सायल अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल फकीरचन्द पुत्र श्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी दूधवा खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0 ने राजस्व ग्राम दूधवा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर कूड़ा कचरा डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है।

अतः पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुंझुनू (राज.)


:- आदेश :-

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम दूधवा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर पर से बेदखल किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रुपये का 50 गुणा = 50/- रुपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम दूधवा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2740/1270 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन कब्रिस्तान के रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-02-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली की मांग कायमी शर्ह 4
वर्ष 2020-21 शुल्क 90 रु शर्हि 50/-
कर ली जाई है




(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला-सुन्दा (राज.)